>

Title: Regarding Defence Act, Clause 7.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उरण में करंजा स्थित भारत सरकार का नेवी का आयुध डिपो है । यह डिपो उरण के नगरपालिका क्षेत्र में आता है । वर्ष 1992 में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई थी, डिफेन्स एक्ट 1903 की धारा 7 के तहत इसको नेवी आयुध के सुरक्षा क्षेत्र में लाया गया है । वहां पर लोगों ने मकान बनाए हैं और वे वहां रह रहे हैं ।

महाराष्ट्र सरकार ने सेफ्टी जोन हटाने के लिए 14 अगस्त, 2019 और 15 जनवरी, 2021 को रक्षा मंत्रालय को पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन आज तक रक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है ।

मैं आपके माध्यम से इस विषय को भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं । एनडीए करंजा के आसपास की भूमि से वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट की धारा 7 को रदद किया जाए और महाराष्ट्र सरकार की मांग को पूरा किया जाए ।